तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7389/2006/धौलपुर महाराज सिंह बनाम गोपीचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः

श्री एस.एन.बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थी

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23–2–2021

1– यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 11.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशाानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर पक्षकार प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया गया है ।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी ने तहसीलदार, राजाखेडा द्वारा प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बेदखल किए जाने एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष किए जाने पर दौराने अपील अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11–10–2006 स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उनका कथन है कि प्रकरण में पक्षकार उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जिसका कि विवादित आराजी में कोई हक व हित निहित हो । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7389/2006/धौलपुर महाराज सिंह बनाम गोपीचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कब्जे बाबत कोई भी सबूत पेश नहीं किया । विवाद प्रार्थी व राज्य सरकार के मध्य में है । धारा 91 भू राजस्व अधिनियम किसी व्यक्ति के अधिकारों को तय नहीं करती तथा एक व्यक्तिगत कार्यवाही है । इस प्रकार के प्रकरणों में किसी अन्य व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया। इस कारण वह आदेश नॉनस्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है । अप्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार नहीं है न ही उनका हित निहित है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 1997 पेज 90, आर.आर. टी. 2015(1) पेज 562, आर.आर.डी. 1991 पेज 417 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है जबकि महाराजसिंह प्रार्थी का नया कब्जा है । नये कब्जे के आधार पर प्रार्थी नियमन कराना चाहता है।इसलिए विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित था। अतः प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे विधिक रूप से स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को सही रूप से जांच कर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 ता2 को प्रकरण में पक्षकार बनाया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5– हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6– आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में किसी के आवेदन पर अथवा उनके बिना ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, किसी व्यक्ति का नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7389/2006/धौलपुर महाराज सिंह बनाम गोपीचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसे वादी एव प्रतिवादी के रूप से संयोजित किया जाना चाहिए था अथवा न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरीतरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ा जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश से अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे प्रकरण में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ही ग्राम मछरिया में स्थित खसरा नंबर 280 के अतिक्रमी है एवं दोंनों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही चली है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर जो उन्हें पक्षकार बनाया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । जैसा कि आर.आर.टी. 2015(1) पृष्ठ 161 में अभिनिर्धारित किया गया है ।

ऐसी स्थिति में वह इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसे सुनवाई का अवसर दिया जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी सारहीन होने से खारिज करना उचित समझते हैं।

7– अतः उक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है। उभय पक्ष अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–3–2021 को उपस्थित हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य